(5)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर 4/2017

1. महावीर सिंह पुत्र स्व. श्री सोनाराम, जाति मीणा, निवासी भारू, हाल आबाद कुमास तहसील व जिला झुंझुनू (राज.)
2. हनुमान सिंह पुत्र स्व. सोनाराम, जाति मीणा, निवासी भारू, तहसील व जिला झुंझुनू

--आवेदकगण

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र मगंलदास जाति स्वामी निवासी कुमास तहसील व जिला झुंझुनू

--अनावेदक

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251क

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री धर्मवीर मीणा, एडवोकेट – आवेदकगण की ओर से
श्री नेकीराम बुडानिया एडवोकेट – अनावेदक की ओर से

निर्णय

दिनांक :–15.03.2018

आज यह पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें जमीन हाल खसरा न. 629 चारागाह भूमि सरहद मौजा कुमास से हाल खसरा न. 672 सरहद मौजा कुमास की उतरी सीमा के सहारे से दर्शित लाल स्याही के स्थान से आवेदकगण के खेत खसरा न. 668, 669, 670, 671, 672/788 सरहद मौजा कुमास तक 30 फीट चौड़ा रास्ता किया जावे व जमीन हाल खसरा न. 597 सरहद मौजा कुमास के पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे वर्तमान में रास्ता खुला है इसलिए खसरा न. 597 के रिकार्डेड खातेदार को प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। भविष्य में यदि आवश्यकता हुई तो अदालत की अनुमति से पक्षकारान बना लिये जावेगें। हाल खसरा न. 668 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा न. 669 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा न. 670 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा न. 671 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा न. 672/788 रकबा 0.58 हैक्टर कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.93 हैक्टर सरहद वाके ग्राम कुमास तहसील व जिला झुंझुनू में स्थित है। उक्तानुसार प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। अनावेदक ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदकगण द्वारा रंजिशवंश गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है व प्रार्थना–पत्र की धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नही किया गया है। आवेदकगण द्वारा मात्र एक निर्धारित प्रारूप की खाना पूर्ति कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से आवेदकगण द्वारा किस तरह क्या सिद्धियां चाही गयी है स्पष्ट नही है। अतः प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है। यह कि आवेदकगण द्वारा नया रास्ता चाहा गया है या मौजूदा रास्ता को छोड़कर अन्य किसी तरह का कोई विकल्प चाहा गया है यह आवेदकगण के प्रार्थना–पत्र से स्पष्ट नही है। इसके अभाव में प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। यह कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अडोस–पडोस के खातेदारो को भी पक्षकार नही बनाया गया है। जवाब प्रार्थना–पत्र पेशकर प्रार्थना–पत्र आवेदक मय खर्चे खारिज

Scanned by CamScanner

करने का अपने जवाब में वर्णित किया है। प्रार्थना–पत्र बावत तहसीलदार झुंझुनू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार झुंझुनू ने अपनी मौका रिपोर्ट पत्र कमांक 1790 दिनांक 09.06.2017 के द्वारा पेश की है कि आवेदक महावीर सिंह पुत्र सोनाराम जाति मीणा हिस्सा 1/2 व हनुमान सिंह पुत्र सोनाराम हिस्सा 1/2 के नाम से ग्राम कुमास की भूमि खसरा न. 668 रकबा 0.22, 669 रकबा 0.02, 670 रकबा 1.60, 671 रकबा 0.51, 672/788 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 2.93 हैक्टर तथा अनावेदक कुरडाराम पुत्र मगलादास जाति स्वामी की भूमि खसरा न. 672 रकबा 1.83 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। मौके पर ट्रेक्टर का रास्ता होने से प्रस्तावित रास्ता उपयुक्त एवं उपलब्ध है। रास्ते स्वीकृत करने की दशा में श्री कुरडाराम पुत्र मगंलादास स्वामी निवासी कुमास के खसरा न. 672 रकबा 1.83 हैक्टर मे से 0.08 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होगी जिसका तरमीम नीचे दर्ज है। वर्तमान में आवेदक प्रस्तावित रास्ते का उपयोग कर रहा है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर ग्राम कुमास में प्रति हैक्टर 4.28 लाख से प्रस्तावित रास्ते की कीमत 34260 रूपये होगी। प्रार्थी के खेत में जाने के लिये निकटतम रास्ता नजरी नक्शे मे दर्ज है जो बिन्दु 'ए' से 'सी' खुला है जिसके बावत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही हुआ है। बिन्दु सी से बी रास्ता जो प्रस्तावित है जिसकी लम्बाई 200 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.08 हैक्टर है जो प्रार्थी के खेत में जाने का निकटतम रास्ता है। जो डीएलसी दर से दिया जाना उचित होना बताया है। हमने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र व मौका रिपोर्ट तहसीलदार झुंझुनू व राजस्व रिकार्ड तथा संलग्न नजरी नक्शा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व बहस वकील पक्षकारान बगौर मनन किया। प्रार्थी को निकटतम रास्ता तहसीलदार द्वारा दिया जाना उचित बताते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की है। जिसमें अनावेदक कृषि जोत भूमि के बीचो–बीच रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है, क्योंकिं अनावेदक अकेला ही प्रस्तावित रास्ते भूमि से प्रभावित होता है। जबकि आवेदकगण को पड़ोसीं हितबन्ध काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाकर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पोषणिय नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पोषणिय व विधि वर्जित होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 15.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15/3/18

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

Scanned by CamScanner